

मद 4 (1) (ख) - (xvii)

यथा विहित ऐसी अन्य सूचना और उसके बाद इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अद्यतन करना

17. यथा निर्धारित अन्य सूचना और उसके बाद इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अद्यतन करना

अद्यतन आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए क्लिक करें। [यहां क्लिक करें।](#)